कार्यालय :– सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, (नैनीताल)

पत्रांकः– केन्द्रीय छात्रवृत्ति/ 31 /2016–17 दिनांक : 8 अगस्त, 2016

विज्ञप्ति

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कालेज एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को 616 छात्रवृत्ति (308 बालकों तथा 308 बालिकाओं के लिए) संस्तुत की जानी है। इन छात्रवृत्तियों को विज्ञान, वाणिज्य एवं कला विषयों में क्रमशः 3:2:1 में वितरित किया जाना है। मंत्रालय द्वारा इस छात्रवृत्ति के लिए अर्ह विद्यार्थियों का चयन इण्टरमीडिएट की परिषदीय परीक्षा 2016 में सम्मिलित Top 20 Percentile उत्तीर्ण विज्ञान, वाणिज्य एवं कला विषयों के परीक्षार्थियों में से किया जाना है। ऐसे विद्यार्थी यदि छात्रवृत्ति हेतु चयनित कर लिए जाते हैं तो उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रथम तीन वर्षों में रू0 10000.00 (दस हजार रूपया मात्र) प्रति वर्ष एवं चौथे तथा पांचवे वर्ष में रू0 20000.00 (बीस हजार रूपया मात्र) प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। उपरोक्त छात्रवृत्ति में आरक्षण की व्यवस्था भारत सरकार के मानकों के अनुरूप है। छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु अभ्यर्थी द्वारा उच्च शिक्षा में प्रतिवर्ष 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के साथ कक्षा में उपस्थिति 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्रवृत्ति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी। छात्रवृत्ति हेतु Top 20 Percentile के आधार पर निम्न योग्यताधारी ही अर्ह होंगे–

1. विज्ञान वर्ग में न्यूनतम 61.80 प्रतिशत अंक (309/500 अंक) तथा कृषि वर्ग में न्यूनतम 68.00 प्रतिशत अंक (680/1000 अंक) प्राप्त किये हों।
2. वाणिज्य वर्ग में न्यूनतम 56.00 प्रतिशत अंक (280/500 अंक) प्राप्त किये हों।
3. कला वर्ग में न्यूनतम 56.60 प्रतिशत अंक (283/500 अंक) प्राप्त किये हों।
4. संस्थागत विद्यार्थियों के रूप में सत्र 2016–17 में किसी मान्यता प्राप्त कालेज के विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों।
5. विद्यार्थी को किसी अन्य श्रोत से कोई भी छात्रवृत्ति प्राप्त न हो रही हो।
6. जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय रूपया 6.00 लाख से अधिक न हो और क्रीमीलेयर की परिधि से बाहर हो।

जो विद्यार्थी उक्त छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करना चाहते हैं, वे National e-Scholarship Portal (http://Scholarships.gov.in) पर दिनांक 30 सितम्बर, 2016 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/आवेदन कर सकते हैं।

- **इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षा वर्ष 2016 के परीक्षार्थी नवीन (Fresh) छात्रवृत्ति हेतु पूरित आवेदन पत्र उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) को कदापि प्रेषित न करें, केवल मंत्रालय की बेवसाइट पर ही ऑनलाइन आवेदन करें।**
- **जिन विद्यार्थियों को केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015 हेतु नवीन (Fresh) छात्रवृत्ति प्रदान की गयी थी। यदि वे प्रथम नवीनीकरण छात्रवृत्ति हेतु अर्ह हों तो मंत्रालय की बेवसाइट पर निर्धारित समयान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करें।**
- **केन्द्रीय छात्रवृत्ति (Fresh/Renewal) हेतु आवेदन करने वाले समस्त विद्यार्थियों के बैंक खाते बैंक के किसी भी सी0बी0एस0 शाखा में पंजीकृत होने के साथ खाते को आधार नम्बर से लिंक करवाना तथा आवेदन पत्र में स्वयं का खाता नम्बर एवं आधार नम्बर का भी उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।**
- **जिन विद्यार्थियों को केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2012, 2013, 2014 हेतु नवीन (Fresh) छात्रवृत्ति प्रदान की गयी थी। यदि वे नवीनीकरण हेतु अर्ह हों तो उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) की बेवसाइट www.ubse.uk.gov.in से संशोधित नवीनीकरण आवेदन पत्र डाउनलोड करने के उपरान्त फॉर्म को पूरित कर अंकतालिका की प्रमाणित प्रति सहित परिषद् कार्यालय को दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक उपलब्ध करायें। अन्यथा की स्थिति में यदि वे छात्रवृत्ति से वंचित होते हैं तो स्वयं उत्तरदायी होंगे।**

नोट :– उपरोक्त कटऑफ मेरिट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के **पत्र संख्या F.1-17/ 2009-NS.I Dated 30.07.2009** के निर्देशानुसार जारी की जा रही है। उक्त कटऑफ मेरिट मात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए ही अर्ह है, तथा छात्रवृत्ति प्राप्त होने की कोई गारन्टी नहीं देता है। छात्रवृत्ति का अंतिम आंवटन मंत्रालय द्वारा बनाई गयी योग्यता सूची एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुसार होगा, जिसमें परिषद् कार्यालय की कोई भूमिका नहीं है।

(डॉ0 आर0डी0 शर्मा)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद,
रामनगर (नैनीताल)।